

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: आदेश ::

निम्नांकित प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) को उनके नाम के सामने अंकित अवधि का वेतन कॉलम संख्या -05 में अंकित रिक्त पद के विरुद्ध आहरित करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	नाम प्राध्यापक मय पदस्थापन स्थान (राउमावि/राबाउमावि)	विषय	अवधि	विद्यालय व पद जहाँ से वेतन आहरित किया जाना है (राउमावि)
1	2	3	4	5
1.	श्री रविन्द्र सैनी, घासीपुरा, (सीकर)	भौतिक विज्ञान	माह नवम्बर 2021 से आगामी आदेश तक	राउमावि रायपुर पाटन (सीकर) में व्याख्याता हिन्दी साहित्य के रिक्त पद विरुद्ध
2.	श्री पुरुषोत्तम, सिद्धमुख, (चूरु)	गणित	माह अक्टूबर 2021 से आगामी आदेश तक	राउमावि सिकराली, रतनगढ़ (चूरु) में व्याख्याता के रिक्त पद विरुद्ध
3.	श्री विक्रम सिंह, राघा बड़ी (चूरु)	भौतिक विज्ञान	माह अक्टूबर 2021 से आगामी आदेश तक	राउमावि, बांय, तारानगर (चूरु) में व्याख्याता के रिक्त पद विरुद्ध
4.	श्रीमती सीमा कुमारी, ढाणी मौजी, (चूरु)	भौतिक विज्ञान	माह अक्टूबर 2021 से आगामी आदेश तक	राउमावि, सारायण, तारानगर (चूरु) में व्याख्याता के रिक्त पद विरुद्ध
5.	श्रीमती मनेश रेडू, रा.मोहता बाउमावि, राजगढ़ (चूरु)	गणित	माह नवम्बर 2021 से दिसम्बर 2021 तक	राउमावि दूलरासर, सरदारशहर (चूरु) में व्याख्याता के रिक्त पद के विरुद्ध
6.	श्री उम्मेद सिंह, राजगढ़, (चूरु)	कृषि विज्ञान	16.08.2021 से आगामी आदेश तक	राउमावि, घणाउ, राजगढ़, (चूरु) में व्याख्याता के रिक्त पद के विरुद्ध
7.	संजू रणवा, देवली कलां (नागौर)	कृषि विज्ञान	माह अक्टूबर 2021 से आगामी आदेश तक	राउमावि नावां (नागौर) में व्याख्याता गणित के रिक्त पद के विरुद्ध
8.	मीनाक्षी बागोतिया, देवली कलां (नागौर)	भौतिक विज्ञान	माह अक्टूबर 2021 से आगामी आदेश तक	राउमावि देवली कलां (नागौर) में व्याख्याता हिन्दी साहित्य के रिक्त पद के विरुद्ध

उपरोक्त अवधि में सम्बन्धित प्राध्यापक द्वारा यदि किसी प्रकार के अवकाश का उपभोग किया गया हो तो उक्त अवकाश प्रकरण का निस्तारण नियमानुसार कर वेतन आहरित किया जावे।

सत्यमेव जयते

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

दिनांक : 21.01.22

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/सी-3/भौगकृ/वेतन-व्यवस्था/2022/

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सचूनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)
2. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (मुख्यालय)
4. संबंधित संस्था प्रधान।
5. संबंधित कार्मिक
6. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
7. निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर